राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 755/2011/चित्तौड.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, चित्तौड़गढ़. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स बजरंग स्टील्स, चित्तौड़गढ़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 10/04/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 215/VAT/2009–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.01.2010 को प्रत्यर्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के समय व्यवसाय स्थल पर कुल 11 लूज पर्चियां पायी गयी थी जिसमें माल की मात्रा मय विक्रय राशि अंकित की हुई थी जिसमें कुल कर योग्य आवर्त रूपये 11,24,124/– था। यह पर्चियां अलग–अलग दिनांकों में की गई बिक्री से सम्बन्धित थी जिसके लिये प्रोपराईटर श्री बंशीलाल द्वारा दिये गये बयान में लूज पर्चियां प्राप्त होना एवं उनकी बहियात से उसका सत्यापन किया जाकर उसका मिलान नहीं होना एवं इन बिक्रियों के बिल जारी नहीं होना माना गया तथा लापरवाही से बिल जारी नहीं किया जाना स्वीकार किया गया तथा मूल पर्चियां मय हस्ताक्षर जांच अधिकारी को दी गयी। वक्त जांच इन पर्चियों का बिल बुक्स एवं चालान बुक से सत्यापन एवं मिलान नहीं हुआ एवं जांच अधिकारी द्वारा लेखा–पुस्तकें भी चाही गयी परन्तु वे बिजली नहीं होने से कम्प्यूटर में संधारित बहियात को पेश नहीं कराया जा सका परन्तु बयान में यह बताया गया कि इन पर्चियों का लेखा–पुस्तकों में भी इन्द्राज नहीं होना स्वीकार करता हूं एवं उसके पश्चात् उसी दिन उक्त पर्चियों से सम्बन्धित बिक्री को बिना बिल माल बेचने के प्रकरण को स्वीकार कर मौके पर ही शास्ति देने का पत्र पेश किया। इस तरह सर्वेक्षण

लगातार.....2

के दौरान ही समस्त कार्यवाही स्वीकारोक्ति के तहत एवं बिना बिल काटे की गई बिक्रियों के साक्ष्यों के अधीन आदेश पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर एवं शास्ति वसूल की गई है परन्तु बाद में इस आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील इस आधार पर स्वीकार की है कि कर निर्धारण अधिकारी ने लेखा–पुस्तकों की जांच नहीं की थी एवं लूज पर्चियों पर किसी गवाह के हस्ताक्षर मौजूद नहीं थे अतः बिना स्वतंत्र गवाहों के आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया परन्तु कर के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया। इस अपीलीय आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश पूर्णतया विधि के विरूद्ध एवं न्यायिक निर्णयों के विरूद्ध है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश किया गया था वह किसी भी विधि की प्रक्रिया के विपरीत नहीं था क्योंकि पूरा आदेश मौके पर ही व्यवहारी द्वारा अपना कर चोरी का अपराध स्वीकार करते हुए दिये गये प्रार्थना–पत्र के आधार पर किया गया था एवं मौके पर ही भुगतान करने हेतु चैक भी दे दिया गया था ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी की यह टिप्पणी अंकित करना कि दो गवाह मौजूद नहीं थे जबकि यह मामला गवाहों के आधार पर नहीं बल्कि स्वयं प्रमाणित लूज पर्चियों से विक्रय से सम्बन्धित था जिस पर स्वयं व्यवहारी की हस्ताक्षर सहित स्वीकारोक्ति की गयी थी एवं मौके पर ही बिलबुक की जांच कर ली गयी थी और जब बिल बुकों में ही इनका इन्द्राज नहीं था तो अन्य लेखा–पुस्तकों की आवश्यकता भी नहीं थी और न ही बाद में ऐसा कोई प्रमाण पेश किया जा सकता था कि वे बिल जारी किये गये हैं अतः अपीलीय आदेश पूरी तरह से विधि के विरूद्ध है अतः अपास्तनीय है।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि जांच के समय नियम 51 की पालना नहीं की गई है और पर्चियों पर दो गवाहों के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये हैं अतः समस्त प्रक्रिया दूषित होने से अपीलीय आदेश विधिसम्मत है एवं अपीलीय आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित आदेशों के प्रकाश में अपीलीय आदेश विधिसम्मत होने से इसे यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

6. रेकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि इस प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा व्यवहारी फर्म का केवल सर्वे किया गया था एवं सर्वे के दौरान कोई सर्च या सीजर नहीं किया गया था बल्कि संधारित दस्तावेजों की जांच की गयी थी तब वहां पर बिना बिल के विक्रय किये गये माल से सम्बन्धित पर्चियां भी पायी गयी थी जिनका सामान्य तौर से बिलबुकों से स्वयं व्यवहारी की मौजूदगी में सत्यापन किया गया तथा उसी वक्त व्यवहारी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि व्यापार स्थल पर उपलब्ध 11 लूज पर्चियां जो कि व्यापारिक दस्तावेज ही हैं इनसे किये गये विक्रय से बिल जारी नहीं किये गये हैं उन्हें इस सम्बन्ध में और सुनवाई का अवसर देने पर उन्होंने अवसर को छोड़ते हुए प्रार्थना–पत्र पेश किया कि इन लूज पर्चियों में किया गया विक्रय बिना बिल का है एवं उस पर वे कर एवं शास्ति जमा कराने को तत्पर हैं, ऐसी स्थिति में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिसमें स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता थी बल्कि बिना बिलों के जारी की गयी पर्चियों पर स्वयं व्यवहारी की स्वीकारोक्ति पर कर एवं शास्ति वसूल की गयी है ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल्स बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, जालौर में पारित निर्णय दिनांक 12.8.2009 [(2009) 25 Tax Update 20]** के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं होने से आरोपित किया गया कर एवं शास्ति पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायोचित थी जिसे अपीलीय अधिकारी ने अनुचित रूप से अपास्त किया है। यह भी टिप्पणी करना उचित है कि अपीलीय अधिकारी ने भी पूरी कार्यवाही को अविधिक नहीं माना है इसलिए उनके द्वारा कर को अपास्त नहीं किया गया है जबकि वह कर बिना बिल जारी पर्चियों के अधीन की गई बिक्री से सम्बन्धित था बल्कि केवल वेट अधिनियम की धारा 61 जो कि करापवंचन के कृत्य के लिये आरोपित की थी, उसे अपास्त किया है जो पुनः अनुचित है।

7. फलतः अपीलीय आदेश में अपास्त की गई धारा 61 की शास्ति को पुनर्स्थापित किया जाता है तथा राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

10/4/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य